न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
70/2022	05.12.2022	28/11/25

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— हीरालाल आत्मज राम निवास
2— नरसिंह आत्मज राम निवास
3— राधा बाई पुत्री राम निवास
4— धन्नी बाई पुत्री राम निवास
5— वेद बाई पुत्री राम निवास
6— विजय आत्मज प्रेम चन्द
7— गजेन्द्र कुमार आत्मज प्रेम चन्द
8— नरेश आत्मज प्रेम चन्द
9— नरेन्द्र आत्मज प्रेम चन्द
10— कोशल्या बाई बेवा प्रेम चन्द
जाति ब्राहमण निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद
2— नगर पालिका सुल्तानपुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता कायम करवाने हेतु

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1. यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 2893/549 की 0—69 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जो प्रार्थीगण की शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2. यह कि ग्राम सुल्तानपुर में प्रार्थीगण की भूमि के पास ही खसरा नम्बर 552 554, 549 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण अपने खेत ख0न0 2893/459 की भूमि में आम रोड सुल्तानपुर—झोटेली से सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 554 व 552 में होकर आते जाते रहे है व ट्रेक्टर ट्रोली लाते व ले जाते रहे है। यही रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

4– यह कि कुछ लोगों ने उक्त सिवाय चक भूमि को हांक कर प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। जिसको खुलासा करने हेतु अतिक्रमियों से कहा तो वे लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये।

5– यह कि वर्तमान में खस्रा नम्बर 554 व 549 की भूमि जो बजंड भूमि है दिनांक 20–7–22 का नामान्तरकरणसं० 2538 से प्रतिपक्षी नं02 नगर पालिका सुल्तानपुर के नाम दर्ज करदी गयी है।

6– यह कि मोके पर आम रोड सुल्तानपुर–झोटेली से सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 554 व 552 में होकर प्रार्थीगण अपने खेत ख0नं0 2893/549 पर आते जाते रहे है व ट्रेक्टर ट्रोली लाते व ले जाते रहे है। यही रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का है जो काफी समय से पुराना रास्ता बना हुआ है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है।

7– यह कि उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण का अपने खेत पर पहुंचने का प्रचलित व चालू रास्ता रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नम्बर ख0नं0 554,42 549 की भूमि में से रास्ता दिये जाने व कायम किये जाने व इस सबंध में राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते का अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार साहब लाडमुझे को आदेश व निर्देश दिया जाना आवश्यक है। तथा ख0नं0 554, 442, 549 की भूमि में होकर 20 फीट चोडा रास्ता प्रार्थी की भूमि तक कायम किये जाने हेतु कहा तो उन्होने अदालत का आदेश लाने को कहा। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 2893/549 की भूमि पर पहुंचने के लिये प्रतिपक्षी न० 1 व 2 के खेत ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 554 व 552 की भूमि में से 20 फीट चोडा रास्ता कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करने हेतु प्रतिपक्षी नं0 1 आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमा0 ग्राम सुल्तानपुर खा0 सं0 नया 402 सम्वत 2071–74
2. नकल जमा0 ग्राम सुल्तानपुर खा0 सं0 नया 1 सम्वत 2071–74
3. नक्शा ट्रेस
4. प्रार्थना पत्र तहसीलदार दीगोद

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी क्रम 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से प्रतिपक्षी क्रम 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिपक्षी क्रम 1 तहसीलदार दीगोद की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थना पत्र को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण मे प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार जवाब व अन्य दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है किन्तु प्रार्थी अपने खाते

की भूमि में पूर्व से ही आता जाता रहा है तथा खसरा नम्बर 2893/459 के खातेदार उक्त खसरा में जाने के लिए खसरा न0 554 व ख0न0 552 तथा ख0 549 से होकर जाते है तथा कहीं से अन्य कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं सबसे नजदीकी रास्ता यही होना स्पष्ट किया है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने एवं कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने हेतु खसरा नम्बर खसरा न0 खसरा न0 554 व ख0न0 552 तथा ख0 549 में होते हुये 20 फीट चोड़ा प्रचलित रास्ते को रास्ते के रूप में कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण हीरालाल आत्मज राम निवास वगै0 जाति ब्राहमण निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2893/459 भूमि पर पहुंचने के लिये गै0 मु0 रास्ते से खसरा न0 554 व ख0न0 552 तथा ख0 549 में होते हुये 20 फीट चोड़ा रास्ते हेतु प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग एवं उपभोग में आयी भूमि का नियमानुसार माप करते हुए प्रतिपक्षीगण को डी0एल0सी0 दर का दुगना से मुल्यांकन किया जाकर नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावे, तथा नियमानुसार प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करते हुए नक्शा में दर्शाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद